संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला भवन, जवाहर बाल भवन परिसर, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश
ई—icpsbhopal@gmail.com www.mpwe.in

क्रमांक/मबावि/14/ICPS/680 भोपाल, दिनांक 25.4.2014

प्रति,

1. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी/
   जिला बाल संरक्षण अधिकारी
   जिला – समस्त
2. अधीक्षक/प्रबंधक
   शासकीय गृह
   जिला – समस्त

विषय :— विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के संबंध में।

———00———

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा) के दत्तक ग्रहण के मार्गदर्शी सिद्धांत 2011, के पैरा 44 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी का वर्गीकरण किया गया है। जो निम्नानुसार है :—

1. दिखाई देने वाली और/या किसी गंभीर चिकित्सा परिस्थितियां – मानसिक या शारीरिक वाले बच्चे – पैरा 44 (2) की सूची में दर्शाई गई गंभीर चिकित्सा परिस्थितियां।
2. बडे बच्चे लगभग 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चे
3. भाई—बहन – जहां तक संभव हो एक ही परिवार में दत्तक ग्रहण हेतु भेजे जाए इसलिए इन बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा गया है।
4. अत्यंत कम वजनी जन्मे बच्चे (जिसे एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए)

पैरा 43 में यह प्रावधान किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में दत्तक ग्रहण में शामिल सभी एजेंसियां शीघ्रता से प्रयास करेगी।

पैरा 46 अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता—पिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को ऐसे सभी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता—पिता की एक सूची बनानी चाहिए ताकि दत्तक ग्रहण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नियोजन की सुविधा प्रदान की जा सके।

पैरा 99 अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को यदि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी स्वदेशी दत्तक ग्रहण में नियोजित करने में सफल नहीं होती है तो विशेष दततक ग्रहण एजेंसी मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी (RIPA) रीपा के माध्यम से अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में बच्चे के

नियोजन की सुविधा हेतु सारा से संपर्क करेगी। प्रदेश में रीपा के लिए सेवाभारती मातृछाया (शिशु कल्याण केन्द्र) को मान्यता दी गई है। जिसका पता स्वामी रामतीर्थ नगर मैदा के सामने होशंगाबाद रोड़ भोपाल, म.प्र. ई-मेल Matrachnaya1997@gmail.com 0755-2559597 / 2762158 है।

सारा द्वारा विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के प्रयासों को दर्ज किये जाने के उपरांत प्रकरण मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी (RIPA) को स्थानांतरित किया जाएगा। तदनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें।

(प्रेमा सेठी)
संयुक्त संचालक
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

letter's

प्रत्येक बच्चे के पुर्नवास का विवरण

जिले का नाम　　　　संस्था का नाम　　　　गृह का प्रकार　　　　पता　　　　फोन नं0　　　　ईमेल

क	शिशु/बालक का नाम	लिंग	जन्मतिथि	शिशु/बालक गृह में प्रवेश का दिनांक	आयु	शिशु/बालक के प्राप्त होने का स्थान/कैसी स्थिति में प्राप्त हुआ	बाल कल्याण समिति को सूचित करने का दिनांक एवं बाल कल्याण समिति का आदेश दिनांक	बच्चे की श्रेणी निराश्रित/अभ्यर्पित/विशेष आवश्यकता वाला बच्चा/अन्य	विधिक रूप से शिशु/बालक को स्वतंत्र घोषित करने का दिनांक	बच्चे का पुर्नवास					अन्य		रिमार्क
										माता पिता/सरंक्षक को सौंपना	दत्तक ग्रहण पूर्व देखभाल (प्रीएडोप्शन)	न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण का आदेश कमांक एवं दिनांक	फास्टर केयर (पालन पोषण देखभाल)	स्पान्सरशिप स्कीम (प्रप्रर्तकता)	संस्था में ही रहने का कारण	फालोअप की स्थिति (संस्था एवं परिवार में) शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

गोषवारा

क0	विवरण	संख्या
1	परिवार को सौंपा	
2	दत्तकपूर्व देखभाल	
3	न्यायालय से दत्तक ग्रहण की आदेश	
4	फॉस्टर केयर	
5	स्पॉसरशिप	
6	शेष-संस्था में निवासरत बच्चे	
7	कुल योग	

संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग
खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
ई-icpsbhopal@gmail.com www. mpwe.in

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 258 भोपाल, दिनांक / 17-02-2014

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी /
जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला –समस्त

विषय :– एचआईवी संक्रमित बच्चों को पोषण देखरेख / प्रवर्तकता योजना के तहत लाभान्वित करने के संबंध में ।

संदर्भ:– संचालनालय का पत्र क्रमांक 180 दिनांक 10.06.2013।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत पालन पोषण देखरेख योजना की सम्पूर्ण प्रकिया की जानकारी दी जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना मे एड्स द्वारा संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों के लिये नियमानुसार पालन पोषण देखरेख अथवा प्रवर्तकता आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने का उल्लेख किये जाने के साथ ही किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2003 के नियम 40 मे उक्त प्रकार के बच्चों को लाभान्वित किया जाना प्रावधानित किया गया है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अन्य पात्र हितग्राहियों के साथ आप जिले मे एचआईवी संक्रमित (पात्र बच्चों) को नियमानुसार लाभांवित करने की कार्यवाही कर प्रतिवेदन संचालनालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(प्रेमा सेठी)
संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 259 भोपाल, दिनांक / 17-02-2014

प्रतिलिपि :– 1. संभागीय संयुक्त संचालक / संभागीय उपसंचालक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

2. अधीक्षक / प्रबंधक, शासकीय / अशासकीय संस्थाएं जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.